

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 3.—सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक40) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण के अधिकारी होने के नाते भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद के समकक्ष हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है। उक्त अधिकारी सं पदाअधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उक्त अधिनियम के तहत, उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में अपनी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे।

तालिका

क्र.सं.	अधिकारी का नाम और पदनाम	सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां	कार्यकाल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ए.सी. विकास, उप मुख्य अभियंता, वि.पो.प्रा.	विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण के न्यासी बोर्ड के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन और उसके तहत आने वाले परिसर।	पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह उक्त पद पर बने रहते हैं, इनमें से जो भी पहले हो।
2	श्री वी. कृष्णकिशोर, संयुक्त निदेशक (नगर नियोजन	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह उक्त पद पर बने रहते हैं, इनमें से जो भी पहले हो।

2. उक्त नियुक्तियां आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. ए- 43015/32/2023-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

New Delhi, the 9th January, 2026

G.S.R. 3.—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Public Premises (Eviction of unauthorized occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of table below, being officers of the Visakhapatnam Port Authority equivalent to the rank of the gazette officer of the Government of India to be Estate Officer for the purposes of the said act and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said table.

Sl.No.	Name & Designation of the officer(s)	Categories of Public Premises	Tenure
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sri.A.C.Vikas, Dy. Chief Engineer, VPA.	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Visakhapatnam Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
2	Sri V.Krishna Kishore, Joint Director (Town Planning)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Visakhapatnam Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette

[F. No. A-43015/32/2023-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 4.—दिनांक 12.12.2022 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 880(ई) के अधिक्रमण में, लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा नीचे दर्शाई गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त अधिकारीगण उक्त तालिका के कॉलम (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विर्तिदृष्टि लोक परिसरों से संबंधित अपने संबद्ध अधिकार की स्थानीय सीमा के अंदर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन “संपदा अधिकारी” पर अधिरोपित कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे:

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधिकार क्षेत्र की सीमा	कार्यकाल
1	2	3	4
1.	श्री नरेंद्रनायक, समुद्री इंजीनियर ग्रेड-1	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
2.	श्री हेमंतकुमार भास्कर, अधिशासी अभियंता (सिविल)	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
3.	श्री तुषारकुमार पटेल, उप यातायात प्रबंधक	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
4.	श्री चेतन जेनिया, अधिशासी अभियंता (सिविल)	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
5.	श्री मुनीब अंसारी, अधिशासी अभियंता	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले हो, के लिए

	(सिविल)	सभी भूमि और परिसर	कार्यात्मक
6.	श्री जिगर ठक्कर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
7.	श्री दिलीप शाहनी, लेखा अधिकारी	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
8.	श्री निकुंज सोलंकी, सहायक अधिकारी अभियंता (विधुत)	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेंगे, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक

2. उक्त नियुक्तियां सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. ए-12011/8/2019-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 9th January, 2026

G.S.R. 4.— In supersession of Notification G.S.R. No. 880(E) dated 12.12.2022, the Central Government by exercise of the powers conferred under Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), hereby appoints the officers of Deendayal Port Authority mentioned in the Column (2) of the below Table, to be Estate Officers for the purpose of the said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the 'Estate Officer' by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Premises, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table;

Sr. No.	Name & Designation of the Officer	Limits of Jurisdiction	Tenure
1	2	3	4
1.	Shri Narendra Naik, Marine Engineer Gr.I	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
2.	Shri Hemant Kumar Bhaskar, Superintending Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
3.	Shri Tushar Kumar Patel, Dy. Traffic Manager	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
4.	Shri Chetan Jeniya, Executive Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
5.	Shri Muneeb Ansari, Executive Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
6.	Shri Jigar Thakkar, Sr.	All lands & premises belonging to and	For a period of five years or till he

	Accounts Officer	under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	remains in service, whichever is earlier
7.	Shri Dilip Shahani, Accounts Officer	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
8.	Shri Nikunj Solanki, Asstt. Executive Engineer (E)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/8/2019-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.